भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2019-20/01
डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2019-20 01 जुलाई, 2019

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
तथा समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक

महोदय / महोदया

मास्टर परिपत्र - जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना

कृपया जाली नोट पकड़ने तथा उन्हें जब्त करने से संबंधित 02 जुलाई 2018 तक जारी अनुदेशों को समेकित करते हुए हमारे 02 जुलाई 2018 के मास्टर परिपत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2018-19 का संदर्भ लें । मास्टर परिपत्र को अब तक जारी सभी निर्देशों को शामिल करते हुए अद्यतन किया गया हैं और इसे बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध किया गया है।

इस मास्टर परिपत्र में उपरोक्त विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को समेकित किया गया हैं, जो इस परिपत्र की तारीख पर प्रचलन में हैं ।

भवदीय

(मानस रंजन महान्ति)
मुख्य महाप्रबंधक

अनु: मास्टर परिपत्र

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स स.1379, मुंबई -400 001(भारत)
फोन:-+91 22 2266 1644; फ़ैक्स :- +91 22 2266 2442; ई-मेल :- helpdcm@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Sir P.M. Road, P.B. No.1379, Mumbai-400 001 (India)
Phone :- +91 22 2260 3000, 2260 4000 Fax:- +91 22 2266 2442 E mail : helpdcm@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

<u>विषय - वस्तु</u>

पैरा क्र.	विवरण
1.	जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार
2.	जाली नोटों की पहचान
3.	जाली नोटों की जब्ती
4.	प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना
5.	जाली नोटों की पहचान - पुलिस और अन्य निकायों को रिपोर्टिंग
6.	काउंटरो से जारी करने, एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना
7.	नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना
8.	बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना
9.	अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना
10.	भारतीय रिजर्व बैंक / सरकार को आंकड़ों की रिपोर्टिंग
11.	पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण
12.	जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण
अनुबंध	अनुबंध – I
	अनुबंध – II
	अनुबंध – III
	अनुबंध – IV
	अनुबंध - V
	अनुबंध – VI
	अनुबंध - VII
	अनुबंध – VIII

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा प्रबंध विभाग

मास्टर परिपत्र – 2019-20

जाली नोटों की पहचान और जब्ती

पैरा 1 **<u>जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार</u>**

जाली नोट निम्नलिखित द्वारा जब्त किये जा सकते हैं;

(i) सभी बैंकों द्वारा

(ii) कोषागार और उप कोषागार

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालय

पैरा 2 **जाली नोटों की पहचान**

काउंटर पर प्रस्तुत किए गए बैंक नोटों को प्रामाणिकता के लिए मशीनों के द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से, बैक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में थोक निविदा के माध्यम से सीधे ही प्राप्त बैंक नोट मशीनों के माध्यम से प्रमाणीकृत किए जाने चाहिए।

काउंटर पर प्राप्त नोटों में या बैक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में पहचान किए गए जाली नोटों के लिए, ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना है।

किसी भी स्थिति में, जाली नोटों को प्रस्तुतकर्ता को लौटाया नहीं जाना चाहिए अथवा बैंक शाखाओं/ कोषागारों द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। बैंकों के स्तर पर पता लगाये गये जाली नोटों की जब्ती में असफलता को संबंधित बैंक की जाली नोटों के संचलन में इरादतन संलिप्तता मानी जाएगी और उन पर दण्ड लगाया जायेगा।

पैरा 3 **जाली नोट जब्त करना**

जाली नोट के रुप में वर्गीकृत नोटों पर निर्धारित (अनुबंध I के अनुसार) **"जाली बैंकनोट"** स्टैम्प से चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाये। इस प्रकार से जब्त प्रत्येक नोट के ब्यौरे एक अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण के साथ अभिलिखित किये जाएंगे।

पैरा 4 **प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना**

जब बैंक शाखा के काउंटर / बैक ऑफिस तथा मुद्रा तिजोरी अथवा कोषागार में प्रस्तुत बैंकनोट जाली पाये जाते हैं, तब उक्त पैरा 3 के अनुसार नोट पर स्टैम्प लगाने के बाद निविदाकर्ता को निर्धारित फार्म (अनुबंध II) के अनुसार प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी चाहिए। उक्त रसीद चल रहे सिरीयल नंबरों में, खजांची और जमाकर्ता द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। इस आशय का नोटिस आम जनता की जानकारी के लिए कार्यालयों शाखाओं मे विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जहां निविदाकर्ता संबंधित रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसे मामलों में भी प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी है।

पैरा 5 जाली नोटों की पहचान - पुलिस और अन्य निकायों को रिपोर्टिंग

पुलिस को जाली नोट का पता लगने की घटना की रिपोर्टिंग करते समय, निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए :

एक ही लेन-देन में 4 पीसेस तक जाली नोटों की पहचान के मामलों में, नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को माह की समाप्ति पर संदिग्ध जाली नोटों के साथ निर्धारित फार्मेट में एक समेकित रिपोर्ट (**संलग्नक III के अनुसार**) भेजी जाए।

एक ही लेन-देन में 5 या उससे अधिक पीसेस तक जाली नोटों की पहचान के मामलों में, नोडल बैंक अधिकारी द्वारा **तुरंत** वे जाली नोट, निर्धारित फार्मेट में (**संलग्नक IV**) एफआईआर दर्ज करते हुए जांच-पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को अग्रेषित किये जाएं।

मासिक समेकित रिपोर्ट/एफआईआर की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में बनाये गये जाली नोट सतर्कता कक्ष को (केवल बैंकों के मामले में) भेजी जाएगी और कोषागार के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजी जाये ।

पुलिस प्राधिकारियों से उनको मासिक समेकित रिपोर्ट और एफआईआर द्वारा प्रेषित जाली नोटों की प्राप्ति सूचना प्राप्त की जाये । यदि पुलिस को नकली बैंक नोट बीमाकृत डाक द्वारा भेजे गए हैं तो उनकी प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से ली जाये और उन्हें रिकार्ड में रखा जाए । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति सूचना प्राप्त करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक है । यदि मासिक समेकित रिपोर्टों को प्राप्त करने/ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की अनिच्छा के कारण कार्यालयों / बैंक शाखाओं को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड रहा है तो उसका निपटान जाली बैंकनोटों की जांच से संबंधित मामलों की समन्वय हेतु नामित पुलिस प्राधिकरण के नोडल अधिकारी की सलाह से किया जाये । नोडल पुलिस स्टेशन की सूची भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं ।

जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की आसानी से पहचान करने के क्रम में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगरानी तथा रिकॉर्डिंग में रखें तथा रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखें ।

बैंकों को ऐसी पहचान के स्वरुप / प्रवृत्तियों पर निगरानी रखनी चाहिए और संदिग्ध स्वरुप/प्रवृत्तियों को तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक/पुलिस प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए।

जाली नोटों की पहचान और उक्त की सूचना पुलिस, आरबीआई आदि को देने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति और उससे संबंधित समस्याओं पर विभिन्न राज्य स्तरीय समितियाँ अर्थात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), करेंसी प्रबंधन पर स्थायी समिति(एससीसीएम) राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति(एसएलएससी), आदि की बैठकों में नियमित रूप से विचार – विमर्श किया जाए ।

बैंक-शाखाओं /कोषागारों में पकड़े गए जाली भारतीय बैंक नोटों के आंकड़े, नीचे दिये गये पैरा-10 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम कार्यालय को प्रेषित की जानेवाली मासिक विवरणियों में शामिल किये जायें ।

भारतीय दंड संहिता में " जाली बनाना " की परिभाषा में विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट भी शामिल हैं । पुलिस और सरकारी एजेंसियों से अभिमत /राय देने हेतु प्राप्त संदिग्ध विदेशी करेंसी नोटों के मामलों में, उन्हें यह सूचित किया जाये कि वे उक्त नोटों को नई दिल्ली स्थित सीबीआई की इंटरपोल विंग के पास उनसे पूर्व परामर्श के बाद भेज दें ।

भारत सरकार ने विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 के तहत उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषन नियम, 2013 को बनाया है | अधिनियम की तीसरी अनुसूची उच्च क्वालिटी वाले जाली भारतीय मुद्रा नोट को परिभाषित करती है। उच्च क्वालिटी वाले जाली नोटों को तैयार करने, तस्करी, या परिसंचरण की गतिविधियों को यू.ए.पी.ए., 1967 के दायरे मे लाया गया है|

पैरा 6 **<u>काउंटरो से जारी करने, एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना</u>**

बैंकों को अपना नकद प्रबंधन कुछ इस तरह पुनर्निर्धारित करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रु. 100 और उससे अधिक मूल्य वर्ग की नकद प्राप्तियों को उन नोटों की मशीन प्रसंस्करण द्वारा प्रामाणिकता की जांच के बिना पुन: संचलन में नहीं डाला जाए । ये अनुदेश दैनिक नकद प्राप्ति के परिमाण को ध्यान में लिए बगैर सभी शाखाओं पर लागू होंगे । इस अनुदेश के किसी भी गैर अनुपालन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 नवंबर 2009 के अनुदेश सं.3158/09.39.00 (नीति) 2009-10 का उल्लंघन माना जाएगा।

एटीएम मशीनों से जाली नोटों की प्राप्ति संबंधित शिकायतों का निपटान करने और जाली नोटों के संचलन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अत्यावश्यक है कि एटीएम मशीनों में नोटों को भरने से पूर्व पर्याप्त सुरक्षा उपायों/ नियंत्रणों को लागू किया जाये । एटीएम मशीनों के माध्यम से जाली नोटों का वितरण, संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया एक प्रयास माना जायेगा ।

मुद्रा तिजोरी विप्रेषणों /शेषों में जाली नोटों का पाये जाने को भी संबंधित मुद्रा तिजोरी द्वारा जान -बूझकर जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया प्रयास माना जायेगा जिसके परिणामस्वरूप पुलिस प्राधिकरण द्वारा विशेष तहकीकात और अन्य कार्रवाई जैसे संबंधित मुद्रा तिजोरी के प्रचालनों को स्थगित करना की सकती है ।

निम्नलिखित परिस्थितियों में जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अलावा, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 100% दंड लगाया जाएगा :

क) जब बैंक के गंदे नोटों के विप्रेषणों (रेमिटन्स) में जाली नोटों की पहचान की जाती है|

ख) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण / लेखा परीक्षण के दौरान बैंक के मुद्रा तिजोरी शेष मे जाली नोट पाए जाते हैं|

<u>डीपीएसएस. केंका. ओडी. 1916/06.07.011/2018-19 दिनांक 07 मार्च 2019</u> के अनुसार (क) नकदी संचालन, तथा (ख) एटीएम हेतु साइबर सुरक्षा ढांचे के संबंध में बैंकों पर लागू सभी दिशानिर्देश, सुरक्षा उपाय, मानक तथा नियंत्रक उपाय व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों पर भी लागू होंगे ।

पैरा 7 **<u>नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना</u>**

प्रत्येक बैंक जिला-वार नोडल अधिकारी नियुक्त करें और उसकी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और पुलिस प्राधिकरण को दें । पैरा 5 में यथाउल्लिखित, जाली नोट के पहचान की रिपोर्टिंग के मामले नोडल बैंक अधिकारी के माध्यम से आने चाहिए। नोडल बैंक अधिकारी जाली नोट पाये जाने से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा।

पैरा 8 **<u>बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना</u>**

प्रत्येक बैंक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अपने प्रधान कार्यालय में जाली (नकली) नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करे: -

(i) जाली नोटों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को बैंक की सभी शाखाओं में प्रचारित करना । इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जाली नोटों की पहचान से संबंधित आंकड़े को समेकित करना और भारतीय रिज़र्व बैंक, एफआईयू – आईएनडी तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करना । पुलिस प्राधिकरण और निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के साथ जाली नोटों के मामलों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ii) इस तरह से संकलित जानकारी को बैंको के केंद्रीय सर्तकता अधिकारी से साझा करना तथा उन्हें काउंटरों पर स्वीकृत /जारी किये गये जाली नोटों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देना ।

(iii) ऐसी मुद्रा तिजोरियों; जहाँ पर दोषपूर्ण/जाली नोट आदि का पता लगा है, की आवधिक आकस्मिक जाँच करना ।

(iv) सभी मुद्रा तिजोरियों/ बैक आफिस में उपयुक्त क्षमता वाली नोट सॉर्टिंग मशीनों के प्रचालन को सुनिश्चित करना और जाली नोटों के पता लगाने पर सावधानी पूर्वक निगरानी करना और उक्त का उचित रूप से रिकार्ड रखना । यह सुनिश्चित करना कि केवल छांटे गये और मशीनों से जांचे गये नोट ही एटीएम मशीनों में डाले जायें/ काउंटरों से जारी किये जायें और नोटों के प्रसंस्करण तथा पारगमन के समय आकस्मिक जांच सहित पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था ।

जाली नोट सतर्कता कक्ष उपरोक्त पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही आधार पर, संबंधित तिमाही की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 को ई-मेल पर तथा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग जिसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं, को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रेषित करें । उपर्युक्त रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भेजी जाये। हार्ड प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

जाली नोट सतर्कता कक्षों के पते को अद्यतन करने के उद्देश्य से बैंक प्रत्येक वर्ष में 1 जुलाई को अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा (**अनुबंध V**) में विवरण आरबीआई को प्रस्तुत करें । हार्ड प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

पैरा 9 **<u>अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना</u>**

जाली नोटों की पहचान सुगम बनाने के लिए सभी बैंक शाखाओं /निर्दिष्ट बैक आफिसों को, अल्ट्रा-वायलेट लैम्प / अन्य उपयुक्त नोट सॉर्टिंग / पहचान वाली मशीनों से सुसज्जित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में सत्यापन, प्रसंस्करण और छँटनी करने वाली मशीनों की व्यवस्था होनी चाहिये और मशीनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग होना

चाहिये । इन मशीनों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित "नोट सत्यापन और फिटनेस सार्टिंग मानदंडो" के अनुरूप होना आवश्यक हैं ।

बैंक, पहचान किये गये जाली नोटों सहित नोट छँटनी मशीनों के माध्यम से प्रसंस्कृत नोटों का दैनिक रिकार्ड रखेंगे ।

बैंकों को जनता के उपयोग हेतु काउंटर पर नोट गिनने वाली कम से कम एक मशीन (जिसमें दोनों तरफ संख्या प्रदर्शित करने की सुविधा हो) लगाने पर भी विचार करना चाहिए ।

पैरा 10 **आरबीआई / एनसीआरबी / एफआईयू – आईएनडी को आँकड़ों की सूचना**

सभी बैंक शाखाओं द्वारा

बैंक की सभी शाखाओं द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों के आंकड़े मासिक आधार पर निर्धारित प्रारूप में सूचित करना आवश्यक है । माह के दौरान बैंक शाखाओं में पता लगाये गये जाली नोटों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण (**अनुबंध VI**) संकलित किया जाए और संबंधित रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय को इस प्रकार प्रेषित किया जाये कि वह आगामी माह की 7 तारीख तक उन्हें प्राप्त हो जाये । यदि माह के दौरान कोई भी जाली नोट नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में शून्य रिपोर्ट प्रेषित की जाए ।

धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013 के नियम 8(1) के तहत, बैंकों के प्रधान अधिकारियों को भी ऐसे नकदी लेन देन, जहां जाली नोट पाए गए हैं, की सूचना की रिपोर्ट, आगामी माह की 15 तारीख तक, निदेशक, एफआईयू आईएनडी, वित्तीय खुफिया ईकाई-भारत, 6वीं मंजिल, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 को FINnet पोर्टल पर सूचना अपलोड के माध्यम से करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, जाली नोटों की पहचान के आंकड़े नैशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो की बेबसाईट के वेब आधारित सॉफ्टवेयर पर भी अपलोड किए जाएँ।

पैरा 11 **पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण**

पुलिस प्राधिकरण / न्यायालयों से पुन: प्राप्त सभी जाली नोटों को बैंक की अभिरक्षा में सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाये और संबंधित शाखा द्वारा उक्त का रिकार्ड रखा जाये। बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष को भी ऐसे जाली नोटों का शाखावार समेकित रिकार्ड रखना होगा ।

इन जाली नोटों का सत्यापन संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा छमाही (31 मार्च और 30 सितंबर) आधार पर किया जाना चाहिये । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति की तिथि से इन जाली नोटों को तीन वर्ष की अवधि के लिए इनका परिरक्षण किया जाना चाहिये।

इसके पश्चात पूर्ण ब्योरे के साथ इन जाली नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजा जाये ।

जाली नोट जो न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं उन्हें न्यायालय निर्णय के बाद संबंधित

शाखा के पास तीन वर्ष तक रखा जाए ।

पैरा 12 **<u>जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण</u>**

यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बैंकों / कोषागारों में नकदी व्यवहार करनेवाला स्टाफ, बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं से पूरी तरह परिचित हो ।

जाली नोट की पहचान के संबंध में बैंक -शाखा के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अनुबंध – VII में दर्शाये गये बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएँ तथा डिज़ाइन सभी बैंकों / कोषागारों को इस निर्देश के साथ भेजे गये हैं कि वे इन्हें आम जनता के जानकारी के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें । शाखाओं के स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए 2005-06 श्रृंखला के बैंकनोटों के पोस्टरों की आपूर्ति की गयी है। रू. 2000/-, रू.500/-, रू. 200/-, रू. 100/-, रू. 50/-, रू. 20/- तथा रू. 10/- के नए डिजाईन के बैंक नोट की सुरक्षा विशेषताओं का विवरण https://www.paisaboltahai.rbi.org.in लिंक पर उपलब्ध है।

अन्य बैंक नोटों का विवरण भी उपरोक्त लिंक के "अपने नोट को जानिए" के तहत उपलब्ध है।

प्राप्ति के समय ही जाली नोटों का पता लगाने में, स्टाफ सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु नियंत्रक कार्यालयों /प्रशिक्षण केंद्रों को बैंक नोटों के सुरक्षा विशेषताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिए । बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नकदी का लेन-देन करनेवाले सभी बैंककर्मी असली भारतीय बैंक नोटों की विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित हैं । इन प्रशिक्षणों में जाली नोटों की पहचान, जब्ती तथा रिपोर्टिंग शामिल होनी चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक, संकाय सहायता और प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करेगा।

संलग्नक -I
(पैराग्राफ – 3)

प्रत्येक बैंक नोट, जो, विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं / मानदण्डों की जांच करने पर, जाली पाया गया है, जो "जाली बैंक नोट" की स्टैम्प के साथ चिन्हित किया जाएगा I इस उद्देश्य के लिए, **5 सें मी x 5 सें मी** के एकसमान आकार के स्टैम्प का निम्नलिखित उत्कीर्णन के साथ उपयोग किया जाए -

जब्त जाली बैंकनोट बैंक/कोषागार/उप-कोषागार :   शाखा / मुद्रा तिजोरी : हस्ताक्षर : दिनांक :

संलग्नक II

पैराग्राफ 4

प्रारूप - जाली नोटों के निविदाकर्ता को जारी की जानेवाली प्राप्ति सूचना रसीद

बैंक / कोषागार / उप-कोषागार का नाम :

पता :

रसीद की क्र.सं.:

दिनांक :

--(निविदाकर्ता का नाम व पता) से प्राप्त निम्नलिखित नोट जाली है और इसलिए जप्त किया / किए गया / गए है तथा तदनुसार स्टैम्प लगाया गया है|

उस नोट की क्रम संख्या जिसे जाली नोट समझा गया है	मूल्यवर्ग	किस मानदंड पर उस नोट को जाली समझा गया है

जाली नोटों की कुल सं.

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर) (काउंटर स्टाफ के हस्ताक्षर)

(कार्यालय की मुहर)

संलग्नक III
(पैराग्राफ सं. 5)

दिनांक : _________________

बैंक का नाम :
जिला :
नोडल बैंक अधिकारी का नाम व पता :
संदर्भ संख्या ....

पुलिस निरीक्षक
.... पुलिस स्टेशन

.... माह की समेकित मासिक रिपोर्ट

जाली नोटों का विवरण

पहचान करने की तारीख	शाखा मुद्रा तिजोरी का नाम	नोट प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति के ब्यौरे	मूल्यवर्ग / पीसेस / शृंखला संख्या	सुरक्षा विशेषताएं जिनका उल्लंघन किया गया है	एनसीआरबी पोर्टल द्वारा जनरेट यूनिक संदर्भ संख्या (यूआरएन)

4. जाली नोट सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न हैं।
5. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(आधिकारिक मुहर)

अनुलग्नक :

<u>संलग्नक – IV</u>

(पैराग्राफ सं. 5)

दिनांक : ________________

बैंक का नाम

जिला:

नोडल बैंक अधिकारी का नाम और पता

संदर्भ सं. --------

पुलिस निरीक्षक

------------ पुलिस थाना

महोदय

<u>जाली नोट /नोटों का पता लगाना -जाँच का अनुरोध</u>

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक .... को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट संलग्न कर रहे हैं। जाली नोट /नोटों के विस्तृत ब्योरे नीचे प्रस्तुत है।

2. चूँकि , भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई के तहत अपराध है, अत: आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें। यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 292(1) और 292(3) के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस , फोरेंसीक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें। प्रस्तुत विशेषज्ञ के राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।जाँच और/या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट/न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जाए।

मूल्यवर्ग / नगों की संख्या	क्रमिक संख्या	अनुमानित मूल्य	नोट प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति के ब्यौरे	मुद्रा तिजोरी का नाम और पता जहां पर जाली नोटों का पता लगाया गया	बैंक की प्रविष्टि संख्या	एनसीआरबी पोर्टल में जनरेट यूनिक संदर्भ संख्या (यूआरएन)

3. इसके साथ जाली नोट संलग्न हैं।

4.कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

आधिकारिक मुहर

अनु:

संलग्नक – V
(पैराग्राफ – 8)

पता, आदि जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म -
सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) से आरबीआई
(प्रत्येक वर्ष पर 1 जुलाई को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	कोड सहित फैक्स संख्या	एफएनवीसी का इ-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम
पदनाम
दिनांक :

नोट: पर पूर्ण भरे हुए फार्मेट को एम एस एक्सेल में ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाये ।

(हार्ड कापी भेजने की आवश्यकता नहीं है)

संलग्नक VI

(पैराग्राफ सं. 10)

दिनांक : ______________

बैंक / जिले का नाम

माह ___________ के दौरान शाखा में पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

क) पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे :

शाखा/ मुद्रा तिजोरी का नाम	पता लगाने के प्रकार	पीसेस के मूल्यवार ब्यौरे													कुल पीसेस
		10 पुराना	10 नया	20 पुराना	20 नया	50 पुराना	50 नया	100 पुराना	100 नया	200	500 पुराना	500 नया	1000	2000	
	एफआईआर (एफआईसीएन पीसेस)														
	एफआईआर के बिना (एफआईसीएन पीसेस)														
	परिष्कृत पीसेस की कुल संख्या														

ख) पुलिस के पास दर्ज मामलों के ब्यौरे

	माह के आरंभ में पुलिस के पास लंबित समेकित योग	रिपोर्ट के तहत माह के दौरान पुलिस को भेजे गये	पुलिस द्वारा माह के दौरान लौटाये गये	माह के अंत में पुलिस के पास लंबित समेकित योग
मामलों* की संख्या जहां एफआईआर दर्ज की गई				
एफआईआर के सभी मामलों में शामिल जाली नोटों के पीसेस की संख्या				

*प्रत्येक दर्ज एफ.आई.आर. एक मामला माना जाए ।

को प्रेषित –

1 महाप्रबंधक/उप-महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, ________ (क्षेत्रीय कार्यालय का नाम)।

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

संलग्नक VII
(पैराग्राफ सं. 12)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 और
<u>उसके बाद जारी किए गए नोटों के विशिष्ट लक्षण</u>

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
I. <u>10 रुपये के नोट</u>				
1967	137 x 63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	हल्का जामुनी रंग। केंद्र में 10 का अंक।	नोट का मूल्य 14 भारतीय भाषाओं में। वर्तुल में सागर का दृश्य तथा पालदार नौका।
1968	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग। वचन-खण्ड, गारण्टी- खण्ड और हस्ताक्षर को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया।	ऊपर लिखी खासियत के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिन्दी में भी मुद्रित किया गया।
1969	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग. 'RUPEES TEN' के स्थान पर 'TEN RUPEES'—	महात्मा गांधी का चित्र
1970	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ चक्र	भारतीय रिज़र्व बैंक ऊपर लिखा गया और RESERVE BANK OF INDIA को नीचे मुद्रित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षरों का स्थान बदला गया। सत्यमेव जयते का मुद्रण किया गया। वाटर मार्क- विंडो और नम्बर पैनल को बड़ा किया गया।	मोहर द्विभाषी रुप में डाली गयी।
1975	उक्त	उक्त	गहरा भूरा, गहरा पीला, नीला रंग। '10' का अंक गहरे कत्थई रंग में। उभरा हुआ मुद्रण। भाषाओं का पैनल बांई तरफ तथा अशोक स्तम्भ दांई तरफ।	हल्का कत्थई, चमकीला नीला और हरा रंग। एक घेरे में पेड़ की शाखा पर बैठे दो मोर। हिरण, घोड़े, पक्षी और कमल।
1992	उक्त	उक्त	समूची रंग योजना हल्का गुलाबी, मेजेन्टा और पीलापन लिए हुए।	शालीमार बाग।
1996	उक्त	वाटरमार्क विंडों में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ।	समूची रंग-योजना में बैंगनी भूरा, संतरी और गुलाबीपन। महात्मा गाँधी का चित्र। छिपा हुआ सुरक्षा धागा, जिसे रोशनी के सामने करके देखने पर दोनों तरफ से 'भारत RBI' शब्द पढ़े जा सकते हैं।	एक दूसरे में गुंथी हुई फुलकारी, जिसमें हाथी, गैंडा और बाघ के मुँह दिखाए गए हैं। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु -	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 10 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	(जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
2011	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2016	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाए की आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है|	उक्त
2018	63 मिमी x 123 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 10 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (10) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है । नोट के अग्र तथा पश्च दोनों भागों पर अन्य डिजाईन, ज्यामित्तीय पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ संरेखित किया गया है । मूल्यवर्ग अंक 10 के साथ आर पार मिलान देवनागरी में १० मूल्यवर्ग अंक मध्य में महात्मा गांधी का चित्र सूक्ष्म अक्षरों में ‘RBI’, ‘भारत’ और ’10’ ‘RBI’, ‘भारत’ उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा आरबीआई का प्रतीक दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक	नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठ भाग पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक १०

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल	
II. 20 रुपये का नोट				
1972	147x63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	केसरिया रंग। अशोक स्तम्भ दांई तरफ और भाषाओं का पैनल बाएँ तरफ ।	समांतर पैनल के मध्य में बड़े अक्षरों में हिन्दी में बीस रुपये और दोनों कोनों में 20 का अंक। संसद भवन का चित्र। बाएं तरफ नोट का मूल्य भारतीय भाषाओ में।
1975	उक्त	छोटा अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र की श्रृंखला। कागज पर सरेश लगा हुआ।	लाल, नीला, बैंगनी और हल्का पीला रंग। हल्के पीले रंग की कमल जैसी आकृति के ऊपर गहरे बैंगनी रंग में 20 का अंक ।भाषाओं का पैनल बायें तरफ और अशोक स्तम्भ दाएं तरफ। नोट का मुद्रण कागज के एकदम किनारे तक किया गया है, लेकिन चारों कोनों को सफेद ही छोड़ दिया गया है । नाम, वाक्य-खंड और हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	ड्राई ऑफसेट प्रिटिंग। लाल, नीला और बैंगनी रंग। बीचों-बीच कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया। पीलापन लिए हुए नीले रंग में वाटरमार्क विन्डो। इस विन्डो के चारों ओर जो सजावटी डिजाइन बना है वह नोट की दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
2001	उक्त	महात्मा गांधी का चित्र	सुरक्षा धागा पूरी तरह से गुंथा हुआ जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा हुआ है। नोट का रंग मुख्यतया लाली लिए हुए संतरी। अशोक स्तम्भ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है। अशोक स्तंभ को नोट के बाएँ ओर निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। संख्या 20, रिज़र्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का प्रतीक, गारंटी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर तथा अशोक स्तम्भ को उभरा हुआ मुद्रित किया गया है। RBI शब्द और अंक 20 को सूक्ष्म अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र के पीछे वैकल्पिक रुप से मुद्रित है। एक पहचान चिह्न के रूप में नोट के बाएँ ओर छोटी खडी आयताकृति उभरे हुए रूप में मुद्रित गई है, ताकि कमजोर नज़र वाले भी नोट का मूल्यवर्ग आसानी से पहचान सकें। संख्या पटल में	नोट की मूल संकल्पना में नारियल वृक्षावली से घिरा भारतीय समुद्रतट दिखाई देता है। बायीं ओर भाषाई पैनल में नोट का मूल्य पन्द्रह भाषाओं में दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			अंकों को लाल रंग में मुद्रित किया गया है।	
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 20 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।
2012	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2016	उक्त	उक्त	दोनों नंबर पैनल में संख्याएँ आकार में दायें से बाएँ आरोही क्रम में होंगी जबकि प्रथम तीन अल्फा न्यूमाइरिक संख्याएँ (उपसर्ग) समान आकार में रहेंगी । संख्या "20", आरबीआई सील, महात्मा गांधी का चित्र, आरबीआई लीजेंड, गारंटी तथा वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर, अशोक स्तम्भ जो अभी तक उभरी हुई मुद्रण (उभार मुद्रण) में थे, अब से ऑफसेट में मुद्रित होंगे (बिना किसी उभार मुद्रण के) आगे, बैंक नोट के दायीं ओर आयताकार पहचान चिन्ह हटा दिया गया है । यद्यपि, पश्च भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अग्र भाग का रंग हल्का है (उभार मुद्रण हटाने के कारण)	उक्त

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			अभी तक महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर एक लम्बवत बैंड में "20" मूल्यवर्ग का अंक दिखाते हुए एक लेटेंट इमेज थी । लेटेंट इमेज तभी दिखाई देती थी जब बैंक नोट को आँख के स्तर पर समानान्तर लाया जाए । यह विशेषता अभी नहीं है ।	
2019	63x129 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 20 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (20) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	मूल्यवर्ग अंक 20 के साथ आर पार मिलान देवनागरी में २० मूल्यवर्ग अंक । मध्य में महात्मा गांधी का चित्र । सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '20' 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा । महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा आरबीआई का प्रतीक । दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक तथा इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (20) संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल	बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, फ्लोरा की गुफाओं का चित्र, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक २०
III. 50 रुपये का नोट				
1975	147 x 73 मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र हैं.	बैंगनी रंग जिसमें नीले, हरे और हल्के जामुनी रंग की आभा है। 50 का अंक गहरे भूरे रंग में। भाषा-पैनल बांई ओर और दांई ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बैंगनी, भूरा और पीला रंग। बीच में संसद भवन। वाटरमार्क विन्डो हल्के बैंगनी रंग में, जिसके चारों ओर का सजावटी डिजाइन दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
1981	उक्त	उक्त	उभरा हुआ मुद्रण- गहरा नीला, पीला और लाल। अशोक स्तम्भ और भाषाएं गहरे बैंगनी रंग में तथा बाकी का नोट गहरे हरे और भूरे रंग में। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राई-ऑफसेट पीलापन लिए हुए भूरा तथा समूचा नोट गहरे जामुनी रंग में। संसद भवन पर झण्डा दिखाया गया है।
1997	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गांधी का चित्र तथा बहु-आयामी रेखाएँ	पीला, नीला और बैंगनी रंग। अशोक स्तम्भ के स्थान पर नीले रंग में महात्मा गाँधी का चित्र। सुरक्षा धागा नोट के भीतर पूर्णत: छिपा हुआ जिस पर 'भारत RBI' शब्द लिखे हुए हैं। वाटरमार्क के बाँए तरफ छोटी ठोस काली वर्गाकार आकृति, जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है।	भारतीय संसद का समग्र दृश्य जिसके ऊपर फुलकारी बनाई गई है और किनारे की तरफ बारीक नक्काशी की गई है। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2005	उक्त	इस भाग में	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर	बैंक नोट की छपायी के दौरान

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 50 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ, तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इंटैग्लिओट प्रिंटिंग में, अर्थात् मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक वर्गाकार आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।
2012	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा। इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी।
2015	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाए की ओर आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है।	उक्त
2016	उक्त	उक्त	संख्या "50", आरबीआई सील, महात्मा गांधी का चित्र, आरबीआई लीजेंड, गारंटी तथा वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर, अशोक स्तम्भ जो अभी तक उभरी हुई मुद्रण (उभार मुद्रण) में थे, अब से ऑफसेट	उक्त

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			में मुद्रित होंगे (बिना किसी उभार मुद्रण के) आगे, बैंक नोट के दायीं ओर वर्ग के आकृति का पहचान चिन्ह हटा दिया गया है । यद्यपि, पश्च भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अग्र भाग का रंग हल्का है (उभार मुद्रण हटाने के कारण) अभी तक महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर एक लम्बवत बैंड में "50" मूल्यवर्ग का अंक दिखाते हुए एक लेटेंट इमेज थी । लेटेंट इमेज तभी दिखाई देती थी जब बैंक नोट को आँख के स्तर पर समानान्तर लाया जाए । यह विशेषता अभी नहीं है ।	
2017	66 मिमी x 135 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 50 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (50) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	नोट का आधार रंग फ़्लोरोसेंट नीला है। नोट के अग्र तथा पश्च दोनों भागों पर अन्य डिजाईन, ज्यामित्तीय पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ संरेखित किया गया है । मूल्यवर्ग अंक 50 के साथ आर पार मिलान देवनागरी में ५० मूल्यवर्ग अंक मध्य में महात्मा गांधी का चित्र सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '50' 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा आरबीआई का प्रतीक दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक तथा इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (50) संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल	बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, रथ के साथ हम्पी का चित्र, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक ५०
<u>IV. 100 रुपये का नोट</u>				
1967	157x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ	नीला रंग । बीच में बड़े आकार में 100 का अंक। दाईं ओर अशोक स्तम्भ की प्रतिमा।	बायीं ओर खडे भाषाओं के पैनल में 14 भारतीय भाषाएँ । वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में हीराकुंड बाँध का चित्र।
1969	उक्त	उक्त	नीला रंग और वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम और उसमें बैठे महात्मा गाँधी का चित्र।
1975	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ में चक्र	उभरा हुआ मुद्रण। गहरा नीला साथ में नीले, भूरे, गुलाबी और गहरे हरे रंग की आभा। 100 का अंक गहरे नीले रंग में। वाटरमार्क विन्डो का रंग हल्का	उभरा हुआ मुद्रण। अनाज की गहरी नीली और भूरी छाया, कृषि कार्य, चाय के बागान, जल

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			नीला। रिज़र्व बैंक का नाम, वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में। भाषाओं का पैनल बांई ओर तथा दांईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	विद्युत परियोजना। वाटरमार्क विन्डो के चारों ओर बनी सजावटी आकृति दूसरी ओर बने डिजाइन में पूरी तरह से समा जाती है।
1979	उक्त	उक्त	एक ओर उभरा हुआ मुद्रण. नीला, लाल और गहरा हरा रंग। लाली और पीलापन लिए हुए हरे रंग की छाया। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राइ-ऑफसेट। काला और मरून रंग। हरापन लिए हुए नीले और भूरेपन की छाया।
1996	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-दिशीय रेखाएं	मुद्रण में उभारदार और ऑफसेट दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। समग्र रंग योजना में नीले, भूरे और हरे रंग की गहनता। महात्मा गाँधी का चित्र। विंडों में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा छिपा और थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। इसपर "भारत" और "RBI" शब्द मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बाँई ओर काली ठोस तिकोनी आकृति उभरकर बनी हुई है जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में मदद करती है।	मुख्य रुप से कंचनजंगा पर्वत शिखर का समूचा दृश्य चित्रित किया है जिसके चारों ओर फुलकारी और जरदोशी के डिजाइन बने हैं। बायीं ओर भाषाओं के पैनल में 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 100 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	100 रुपये के नोट में विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 2 मि.मी.। इंटैग्लिओ प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक त्रिकोण आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
2011	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ` प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2015	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाए की आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है | इसके अतिरिक्त, मंद दृष्टि के लोगों के उपयोग हेतु, नोटों के अग्रभाग पर दाएँ तथा बाएँ कोनों में चार कोनेदार ब्लीड रेखाएँ मुद्रित है| पहचान चिह्न (त्रिकोण) का आकार भी 50% बढ़ाया है|	उक्त
2018	66x142 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 100 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (100) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	मूल्यवर्ग अंक 100 के साथ आर पार मिलान । मूल्यवर्ग अंक 100 के साथ लेटेंट चित्र । देवनागरी में १०० मूल्यवर्ग अंक । मध्य में महात्मा गांधी का चित्र । सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '100' । कलर बदलाव के सहित 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा । नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का रंग हरे रंग से नीले रंग में परिवर्तित होता है । महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा आरबीआई का प्रतीक । रूपये के प्रतीक के साथ मूल्यवर्ग अंक, नीचे दायीं ओर रंग बदलने वाली स्याही (हरे से नीला) में रू. 100, दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक । संख्या पैनल	बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, रानी की वाव का चित्र, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक १००

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल । दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए महात्मा गांधी का चित्र इंटेग्लियो या उभरी हुई छपाई में, अशोक स्तम्भ का प्रतीक, माइक्रो टेक्स्ट रू. 100 के साथ उभरा हुआ त्रिकोणीय पहचान चिन्ह , नोट के बाईं तथा दायीं दोनों तरफ चार कोणीय ब्लीड रेखाएँ।	
V. रू. 200 नोट – महात्मा गांधी (नई) शृंखला				
2017	66 मिमी x 146 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 200 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (200) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	नोट का आधार रंग चमकीला पीला है। नोट के अग्र तथा पश्च दोनों भागों पर अन्य डिजाईन, ज्यामित्तीय पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ संरेखित किया गया है । मूल्यवर्ग अंक 200 के साथ आर पार मिलान मूल्यवर्ग अंक 200 के साथ लेटेंट चित्र देवनागरी में २०० मूल्यवर्ग अंक मध्य में महात्मा गांधी का चित्र सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '200' कलर बदलाव के सहित 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा नोट को तिरछा करके देखने पर घागे का रंग हरे रंग से नीले रंग में परिवर्तित होता है । महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा आरबीआई का प्रतीक रूपये के प्रतीक के साथ मूल्यवर्ग अंक, नीचे दायीं ओर रंग बदलने वाली स्याही (हरे से नीला) में रू. 200 दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए महात्मा गांधी का चित्र इंटेग्लियो या उभरी हुई छपाई में, अशोक स्तम्भ का प्रतीक, माइक्रो टेक्स्ट रू. 200 के साथ उभरा हुआ पहचान चिन्ह H, नोट के बाईं तथा दायीं दोनों तरफ लाईनों के बीच दो वृतों के साथ चार कोणीय ब्लीड रेखाएँ।	पृष्ठ भाग में सांची का स्तूप का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है । बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक २००
VI . Rs.500 notes – Mahatma Gandhi (New) Series रू. 500 नोट-महात्मा गांधी (नई) शृंखला				

2016	66mm x150 mm	महात्मा गांधी का चित्र तथा इलेक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (500)	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में जारी किया गया है, रू. 500 /-के बैंक नोट पूर्व के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) शृंखला से रंग, आकार, विषय, सुरक्षा विशेषताओं के स्थान तथा डिजाईन में अलग है। नोट का रंग पथरीला भूरा (स्टोन ग्रे) है। महात्मा गांधी के चित्र की अभिमुखता तथा संबन्धित जगह में बदलाव किया गया है। बैंक नोट में वे विशेषताएँ भी हैं जो नेत्रहीन व्यक्ति को मूल्यवर्ग की पहचान करने में सक्षम बनाता है। (उभरी हुई छपाई में महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तम्भ प्रतीक, ब्लीड रेखाएँ, रू. 500 के साथ वर्तुलाकार दायीं ओर तथा पहचान चिन्ह)	नया विषय भारतीय ध्वज के साथ भारतीय विरासत स्थल लाल किला है। पीछे की ओर मुद्रण वर्ष "2016" तथा स्वच्छ भारत लोगो छपा है। मध्य की तरफ 15 भाषा पैनल
VII. Rs.2000/- notes – Mahatma Gandhi (New) Series रू 2000 .नोट – महात्मा गांधी (नई) शृंखला				
2016	66mm x 166 mm	महात्मा गांधी का चित्र तथा इलेक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (2000)	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में जारी किया गया है। नोट का आधार रंग गहरा गुलाबी (मेजेंटा) है। नोट में दोनों अग्र तथा पश्च भाग में अन्य डिजाईन, समग्र रंग योजना के साथ ज्यामितीय पैटर्न है। प्रमुख विशेषताएँ हैं: 1. मूल्यवर्ग अंक 2000 में आर पार मिलान 2. मूल्यवर्ग संख्या 2000 के साथ छिपी हुई प्रतिमा 3. देवनागरी में मूल्यवर्ग संख्या २००० 4. मध्य में महात्मा गांधी का चित्र 5. बैंकनोट के दायीं तरफ सूक्ष्म अक्षर "रिज़र्व बैंक" तथा "2000" 6. कलर शिफ्ट के साथ बैंक नोट पर 'भारत', 'रिजर्व बैंक' तथा 2000 लिखा हुआखिड़कीनुमा सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले रंग में बदलता है। 7. गारंटी खंड, गवर्नर के हस्ताक्षर सहित वचन खण्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक को दायीं तरफ सरका दिया गया है। 8. रूपये चिन्ह के साथ मूल्यवर्ग अंक 2000 रंग परिवर्तक स्याही के साथ (हरे से नीला) दायीं तरफ नीचे 9. महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ अशोक स्तम्भ प्रतीक तथा इलेक्ट्रोटाईप (2000) वाटरमार्क	प्रमुख विशेषताएँ हैं: 1. बायीं तरफ नोट के मुद्रण का वर्ष 2. स्लोगन सहित स्वच्छ भारत लोगो 3. भाषा पैनल मध्य की तरफ 4. मंगलयान का चित्र जो देश की पहली अंतरग्रहीय अन्तरिक्ष पहल है, को दर्शाते हुए 5. मूल्यवार अंक २००० देवनागरी में

			10. संख्या पैनल में छोटे से बढ़ते आकार के अंक ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ। नेत्रहीनों के लिए उभरी हुई छपाई में महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तम्भ प्रतीक, ब्लीड रेखाएँ तथा पहचान चिन्ह। 11. दायीं तरफ उभरी हुई छपाई में 2000 के समस्तरीय आयत 12. दायीं तथा बाईं तरफ उभरी हुई छपाई में सात कोणीय ब्लीड लाईनेलिखा हुआखिड़कीनुमा सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले रंग में बदलता है।	

इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम संख्या	परिपत्र संदर्भ संख्या	दिनांक	विषय	मास्टर परिपत्र का पैरा
1.	डीसीएम एफएनवीडी जी 16 /16.01.01/2003-04	18.12.2003	एटीएम के माध्यम से जाली नोट जारी करना	पैरा 6
2.	डीसीएम एफएनवीडी जी 31 /16.01.01/2003-04	08.04.2004	जाली नोटों की पहचान – प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना	पैरा 4
3.	डीसीएम एफएनवीडी जी 3 /16.02.03/2004-05	06.07.2004	जाली नोटों की पहचान – रसीद जारी करना	पैरा 4
4.	डीसीएम एफएनवीडी जी 23 /16.01.01/2005-06	07.12.2005	एटीएम के माध्यम से जाली नोट जारी करना – जाली नोट सतर्कता कक्ष का गठन	पैरा 6 तथा 8
5.	डीसीएम एफएनवीडी जी 37 /16.08.08/2006-07	28.03.2006	बैंकों के एटीएम से निकले जाली नोटों की पहचान	पैरा 6 तथा 8
6.	डीसीएम एफएनवीडी जी 18 /16.01.01/2006-07	01.06.2007	मुद्रा तिजोरी विप्रेषण में बैंकों से प्राप्त जाली नोटों की पहचान करना	पैरा 6
7.	डीसीएम सं डीआईआर. एनपीडी. 3158/09.39.00/ 2009-10	19.11.2009	नोटों की छंटनी / प्रसंस्करण – नोट सॉर्टिंग मशीन की स्थापना	पैरा 6
8.	डीसीएम सं सीआईआर. एनपीडी. 3161/09.39.00 (नीति)/ 2009-10	19.11.2009	नोटों की छंटनी / प्रसंस्करण – नोट सॉर्टिंग मशीन की स्थापना	पैरा 9
9.	डीसीएम आरएण्डडी सं. जी - 26/18.00.14/2009-10	11.05.2010	नोट सॉर्टिंग मशीन की स्थापना – नोटों की प्रामाणिकता तथा फिटनेस सॉर्टिंग के मानदण्ड	पैरा 9
10.	डीसीएम एफएनवीडी सं 502/16.01.05/2011-12	25.07.2011	जाली बैंक नोटों की पहचान करना – संशोधित प्रक्रिया	पैरा 5
11.	डीसीएम एफएनवीडी सं 5063/16.02.22/2011-12	09.05.2012	जाली नोटो की पहचान तथा रिपोर्टिंग हेतु प्रक्रिया – मौद्रिक नीति – 2012-13	पैरा 6
12.	डीसीएम एफएनवीडी सं 2165/16.21.005/2012-13	16.11.2012	जाली नोटो की पहचान तथा रिपोर्टिंग– मौद्रिक नीति 2012-13 का दूसरी तिमाही समीक्षा	पैरा 6
13.	डीसीएम एफएनवीडी सं 776/16.01.05/2015-16	27.08.2015	जाली नोटों की पहचान – समीक्षा	पैरा 2
14.	डीसीएम एफएनवीडी सं 1134/16.01.05/2016-17	27.10.2016	जाली नोटों की पहचान तथा जब्ती	पैरा 5

15.	डीसीएम एफएनवीडी जी-7/ 16.01.05/17-18	15.01.2018	जाली नोटों की पहचान तथा जब्ती – एफआईआर दर्ज करना	पैरा 5
16.	डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं. 1916/06.07.011/2018-19	07.03.2019	भारत में व्हाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) – दिशानिर्देशों की समीक्षा	पैरा 6